न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठसीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 67/2004
GCMS NO. : 2004/00008

–:: वादीया ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. महेन्द्रसिंह पुत्र शम्भूसिंह के का.मु. 1.1 प्रेमकंवर बेवा महेन्द्रसिंह 2. भवानीसिंह पुत्र शम्भूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।		1. हीराराम पुत्र लाबूराम 2. शंकरलाल पुत्र लाबूराम 3. पेमाराम पुत्र सोनाराम 4. लालाराम पुत्र सोनाराम 5. मुन्नाराम पुत्र सोनाराम जातियान– बावरी, निवासीगण– बिरामपुरी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तारीख रजू:.15/06/2004

उपस्थितः– 1. श्री चावण्ड दान बाहरठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक :– 27/07/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बिरामपुरी में वाके है। जिसके वादीगण रेकॉर्डेड काबिल खातेदार काश्तकार है। जिसका विवरण निम्न है– खसरा संख्या 96 रकबा 01–18 बीघा किस्म बा–1 तथा खसरा संख्या 98 रकबा 2–16 बीघा किस्म बा–1 कुल खसरा 2 कुल रकबा 4–16 बीघा। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। इस कृषि भूमि की जमाबंदी खतौनी संवत 2057 से 2061 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की जा रही है। जिसे वाद का एक भाग माना जावे। इस पद में वर्णित कृषि भूमि को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादीगण विवादित कृषि भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व हिस्सा नही होते हुए भी वादीगण को उनकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। व यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी। और वादीगण को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपयो में नही आंका जा सकता है। व यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने की कोशिश की गई तो वादीगण प्रतिवादीगण को ऐसा हरगिज नही करने देंगे। जिससे मौके पर टंटा फसा [illegible] व ऐसा होने की स्थिति में वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार बार [illegible] में लड़ने पड़ेगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिग्स होगी। इसलिए [illegible] प्रतिवादीगण के [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए स्थाई नि[illegible]ज्ञा का वाद विरूद्ध [illegible]दीगण पेश है। बिनाय दावा दिनांक 12.06.2004 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बिरामपुरी तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व हद अख्तियार समायत अदालत बाला के है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण कि तरफ से वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया जो सा0मि0 है। प्रतिवादीगण की ओर से वाद की वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है– तथाकथित पन्ना पुत्र नैना जाट साकिन बिरामपुरी के नाम की काफी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3, 9, 10, 12, 13, 112, 113 कुल खसरा संख्या 7 कुल रकबा 53–14 बीघा खातेदारी भूमि में से पन्ना पुत्र नैना का हिस्सा भी है सरहद मौजा आसरलाई तहसील जैतारण में निम्न खसरान् की खातेदारी भूमि रही है। पन्ना(लाबू) पुत्र नैनाराम जाट साकिन बिरामपुरी तहसील जैतारण पाली के खसरा संख्या 795 से 806 कुल खसरा संख्या 12 कुल रकबा 183–02 बीघा में से पन्ना(लाबू) पुत्र नैना की भी हिस्सेदार की भूमि होने से अन्त्योदय योजना की ओढ में खसरा संख्या 96, 98, 100 में गलत व गैरकानूनी आंवटन हुआ है चूंकि पन्ना(लाबू) पुत्र नैना को भूमि आवंटन होने की योग्यता नही थी। पन्ना पुत्र नैना को आवंटन विधि विरूद्ध हुआ है जिस बाबत् जिला कलेक्टर पाली को आवेदन दिनांक 29.07.2004 को पेश हुआ है, जो बाबत् जिला कलक्टर पाली को आवेदन दिनांक 29.07.2004 को पेश हुआ है। जो इस मामले की जांच लम्बित है। तथाकथित पन्ना पुत्र नैना जाट साकिन बिरामपुरी का मिलावट से मृत्यु दिनांक 25.12.2002 को बतायी गयी है जबकि संबंधित मतदाता सूची के अनुसार उसकी मृत्यु 1998 के पहले ही हो चूकी थी, फिर मृत्यु की फर्जी दिनांक 25.12.2002 अंकित कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके फौतेदगी म्युटेशन झूठा व गलत है। इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व विलोपन मतदाता सूची 1998 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। तथाकथित गैरसायलान का खसरा संख्या 96, 98, 100 की कुल भूमि 6–10 बीघा बारानी भूमि पर लगातार कब्जा काश्त बाप बडेरो व उनके पूर्वजो से लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस संदर्भ में प्रतिवादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में नही होने से समय समय पर उनको धारा 91 राजस्थान रेवेन्यू लैण्ड के तहत 1977, 78, 79 एवं समय पर दिये गये थे। जिसे प्रतिवादीगण वास्तविक कब्जा काश्त मुतदाविया की भूमि होने की वास्तविक स्थिति रही है एवं वर्तमान में मुतनाजा भूमि पर प्रतिवादीगण की कपास की फसल खड़ी है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश करते हुए कथन किया कि मुतदाविया भूमि खसरा संख्या 96, 98 कुल भूमि 04–16 बीघा भूमि बाबत् वादीगण का कब्जा काश्त नही होते हुए भी आपसी मिलावट से बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज हुआ है। गलत राजस्व इन्द्राज जमाबंदी की खतौनी के आधार पर प्रतिवादीगण के पुरानी कब्जा काश्त मुतनाजा भूमि से उक्त वाद की ऑड में प्रतिवादीगण को बेदखलकर भूमि हड़पना चाहते है जो कानूनी निगाह में गलत है। मु[illegible] भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है [illegible] में उनके द्वारा कपास की फसल तैयार की जाने के वास्तविक हालात में [illegible] मुतनाज भूमि पर कब्जा काश्त ही नही है तब उन्हे बेदखल करने का सवाल ही नही [illegible] न ही किसी प्रकार असीम हानि होने का सवाल है महज राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने की स्थिति का नाजायज फायदा लेने हेतू गलत प्रक्रिया की गई। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] पाली

नही है। सारे हालात देखते वादीगण का प्रथम दृष्टया साबित नही है राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज का आधार लेकर अपना हक बताने का प्रयास किया जा रहा है। सोहलियत की दृष्टि से अकथनीय हानि की वकायत भी वादीगण के पक्ष में नही है। इस जवाबदावे को मय खर्चा खारिज किया जावे। मुतनाजा भूमि पर प्रतिवादीगण का वास्तविक कब्जा काश्त रहते उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा तैयार की गई कपास की फसल देखते प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने की कानून की मंशा के विरूद्ध है। अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा मय खर्चा खारिज किया जावे।

तनकियात कायम की गई। शहादत वादीगण पेश हुई, शहादत वादी में भवानीसिंह पुत्र शम्भुसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र P/W- 01, गवाह शिम्भूसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत P/W- 02, गवाह मोहनसिंह दत्तक पुत्र तेजसिंह ने P/W- 03 पेश हुये, जो सा0मि0 है। जिरह पूर्ण की गई। अन्य शहादत वादीगण पेश नहीं करनें से शहादत वादीगण बन्द की गई। शहादत प्रतिवादी के सम्बन्ध में हीराराम पुत्र सुखदेव का साक्ष्य शपथ पत्र D/W- 01, शंकरराम पुत्र सुखदेव का साक्ष्य शपथ पत्र D/W- 02, पीराराम वल्द जालाराम जाति बावरी का साक्ष्य शपथ पत्र D/W- 03, गवाह श्रवणसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुरोहित का साक्ष्य शपथ पत्र D/W- 04, गवाह बुद्धाराम पुत्र भंवर जाति कुमावत का साक्ष्य शपथ पत्र D/W- 05, पेमाराम वल्द हुकारजी जाति कुमावत का साक्ष्य शपथ पत्र D/W- 06, मोहनसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपुरोहित का साक्ष्य शपथ पत्र D/W- 07 पेश हुआ। जिरह पूर्ण की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश की, जो सा0मि0 है।

हमनें पत्रावली वादपत्र एवं साक्ष्य शपथपत्रों सहित अन्य दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया तथा अधिवक्ता वादी की लिखित बहस का अवलोकन किया। प्रकरण का विवाद्यक अनुसार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :–

1. आया सरहद मौजा बिरामपुरी में वादीगण की कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 96 रकबा 01–18 बीघा किस्म बारानी प्रथम व खसरा संख्या 98 रकबा 2–18 बीघा कुल रकबा 4–16 बीघा के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण है ? **जिम्मे वादीगण**

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कथन किया है कि वादीगण ग्राम बिरामपुरी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 96 रकबा 01–18 बीघा व खसरा संख्या 98 रकबा 02–16 बीघा के अभिलिखित काबिज खातेदार है।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में यह कथन किया है कि मुतवादिया भूमि खसरा संख्या 96 व 98 कुल 04–16 बीघा भूमि वादी का कब्जा काश्त नही होते हुए भी आपसी मिलावट से गलत रूप से बतोर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज हुआ है।

साक्ष्यवादी में वादी भवानीसिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.01 में वादी द्वारा वादपत्र में अंकित कथनो व तथ्यो का समर्थन किया है वही जिरह **के दौरान** वादी भवानीसिंह द्वारा यह स्वीकार किया कि [illegible] संख्या 96 व 98 रकबा 04–16 बीघा भूमि लाला पुत्र पन्ना से [illegible] में मेरी बाजरी की फसल बोई हुई है। साक्ष्यवादी गवाह मोहनसिंह द्वारा प्रस्तुत [illegible] डब्ल्यु.3 पर गवाह द्वारा जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि पन्ना को मैं [illegible]नता था जिनके पिता का नाम नैनाराम था, पन्ना को फौत हुए 08 से 10 वर्ष हो गए है हीरा व शंकर के पास वाले पूर्व दिशा की ओर कुएं पर बिजली कनेक्शन लिया हुआ है तीनो **खसरो** पर भवानीसिंह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

कब्जा है, बेरा के खसरा संख्या याद नही है आदि। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी ग्राम बेरामपुरी संवत् 2058 से 2061 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 96 व 98 रकबा 04-14 बीघा जो पन्ना पुत्र नैना जाट की गैरखातेदारी भूमि थी, पन्ना के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 213 दिनांक 26.01.2003 द्वारा लालाराम पुत्र पन्नाराम के दर्ज की गई। नामान्तरण संख्या 221 दिनांक 09.01.2004 के अनुसार गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी हक प्रदान किया गया, तथा नामान्तरण संख्या 225 द्वारा महेन्द्रसिंह भवानीसिंह पिसरान् के नाम दर्ज किए गए। इस प्रकार भू अभिलेख से यह स्पष्ट है कि भू अभिलेख में वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है अतः उपर्युक्त विवाद्यक भली भांति साबित होने से वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. आया वादी माफिक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ?

जिम्मे वादीगण

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। चूंकि वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अर्न्तगत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एवं उक्त अनुतोष हेतू वादी का वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार होना एवं वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग होना आवश्यक शर्त है तथा स्थायी निषेधाज्ञा के द्वारा ऐसा काबिज खातेदार उसकी आराजी पर संभावित अतिक्रमण एवं आराजी के खुर्दबुर्द होने की आंशका के आधार पर ऐसी क्षति को रूकवा सकता है। चूंकि विवाद्यक संख्या 01 के निर्णय से स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है, लेकिन वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध में विवाद्यक संख्या 03, 04 व 05 विशिष्ट रूप से विरचित है जिन्हे साबित करने की जिम्मदारी प्रतिवादीगण के जिम्मे है अतः इस विवाद्यक का निर्णय आगामी विवाद्यक संख्या 03, 04 एवं 05 के विवेचन उपरान्त उनके साथ ही किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

3. आया ग्राम बिरामपुरी पअवार हल्का मोहराई में खसरा संख्या 93, 94, 95, 97 के बीच स्थित खसरा संख्या 96, 98, 100 पर प्रतिवादी के पिता काल से उक्त खसरान की भूमि काश्त वक्त सेटलमेंट के पहले करते आ रहे तथा उनके नाम पर धारा 91 रेवेन्यू एक्ट मुकदमें चले है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध पूर्व से प्रतिवादीगण एवं इससे पूर्व इनके पिता के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में होना कथन किया है, वही वादीगण द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजी उनके उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में होना कथन किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रतिवादी हीराराम का साक्ष्य शपथ पत्र डी.डब्ल्यु. 01, प्रतिवादी शंकरलाल का साक्ष्य शपथ पत्र डी.डब्ल्यु.2 एवं गवाह का साक्ष्य शपथ पत्र डी.डब्ल्यु.3 पेश किया। साक्ष्य प्रतिवादी हीराराम ने मुख्य परीक्षण में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि खसरा संख्या 96 व 98 में लाबू का नाम चलता है आसरलाई की सरहद में नाम पन्ना व बिरामपुरी की सरहद में नाम लाबू है जो नैना के बेटे है एवं एक ही व्यक्ति हैं, मेरे को पता नही कि खसरा संख्या 96 व 98 की भूमि लाबू को अलॉट हुई हो, निमाज से फोटोग्राफर बुलाकर [illegible] है, यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन से अतिक्रमियो को बेदखल करके [illegible] लाबू जाट को अलॉट हुई हो। मेरा मकान इसी जमीन पर है तथा कई वर्षो से मेरा कब्जा है। इसी प्रकार प्रतिवादी शंकरराम पुत्र लाबुराम ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उक्त खातेदारी की जमीन में रिकॉर्ड में किसका नाम है मुझे नही पता, मौके पर मेरा कब्जा है, यह कहना गलत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible] जिला-पाली

के वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा हो। प्रतिवादी गवाह पीराराम पुत्र जालाराम बावरी उम्र 80 वर्ष निवासी मोहराई ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि जिस जमीन के बाबत् यह मुकदमा चल रहा है उस विवादित जमीन की खसरा संख्या क्या है मुझे नही पता, यह जमीन बिरामपुरी ग्राम में आई हुई है, इस विवादित जमीन के पड़ौस में मेरा बेरा बुवाई पर ले रखा है मैं बेरा पर पिछले 20 वर्षो से बुवाई कर रहा हूँ, इस भूमि पर रिकॉर्ड में किसका नाम है यह मुझे पता नही, यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण जबरदस्ती लाठी के जोर पर विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटोग्राफ प्रदर्श डी–3 जिसमें फसल खड़ी है तथा कुछ व्यक्ति खेत में काम कर रहे है जिसके ऊपर खसरा संख्या 98 अंकित है इसी प्रकार प्रदर्श डी–4 में फोटोग्राफ में कुआं निवास स्थान एवं कुछ खाली भूमि है जिस पर खसरा संख्या 97 अंकित हैं प्रदर्श डी–5 में फोटोग्राफ में खेत में तीन लोग खड़े है तथा फसल जुताई की हुई है तथा प्रदर्श डी–6 के फोटोग्राफ में खेत में एक व्यक्ति खड़ा है खेत के बीच में एक पेड़ खड़ा है तथा ऊपर खसरा संख्या 96 अंकित है। उक्त फोटोग्राफ से प्रमाणिक रूप से यह नही कहा जा सकता है कि उक्त फोटोग्राफ वादग्रस्त आराजी के ही है तथा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे व्यक्ति प्रतिवादीगण ही हो तथा प्रतिवादीगण द्वारा ही वादग्रस्त आराजी को उपयोग उपभोग एवं काश्त किया जा रहा हो, अतः प्रदर्श डी–3 से डी–6 अकाट्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नही किए जा सकते है। प्रदर्श डी–8 तथा प्रदर्श डी–11 तहसीलदार जैतारण द्वारा लाबु.पुत्र सुखदेव बावरी ग्राम बिरामपुरी के नाम सिवाय चक खसरा संख्या 96, 98 व 100 पर अतिक्रमण की दशा में दिनांक 06.03.1979 एवं दिनांक 14.11.1979 को जवाब प्रस्तुत करने हेतू जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। इसी प्रकार प्रदर्श डी–9 व डी–10 लाबु पुत्र सुखदेव द्वारा जुर्माना राशि अदायगी रसीदे है। इस प्रकार उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में सिवाय चक भूमि थी, जिस पर लाबु पुत्र सुखदेव बावरी जो कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता है, का कब्जा काश्त था। जिनके विरूद्ध तहसीलदार जैतारण द्वारा बेदखली हेतू की गई कार्यवाही बाबत् जारी नोटिस रिकॉर्ड पर है। उक्त आराजी को कालान्तर में पन्ना पुत्र नैना जाट को आवंटित/नियमन किया गया तथा वादीगण को उक्त आराजी के क्रेता है। वादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि प्रतिवादी लाबू को वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से कब व किसके द्वारा बेदखल किया गया। वादीगण द्वारा यह भी अकाट्य रूप से साबित नही किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि क्रय की गई है, विक्रेता से मौके पर भौतिक रूप से कब्जा कब व किस रूप में प्राप्त किया गया। साथ ही विक्रेता का वादग्रस्त आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा था या नही? इस प्रकार उपलब्ध अभिलेख से यह साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी आवंटन पूर्व से प्रतिवादीगण के पिता लाबू पुत्र सुखदेव बावरी के कब्जे काश्त में थी तथा वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होने बाबत् कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। हालांकि प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि उनका वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट के पूर्व से कब्जा काश्त था। इस प्रकार वादीगण [illegible] सफलतापूर्वक यह साबित करने में असफल रहे है कि वादग्रस्त आराजी [illegible] है तो ऐसी परिस्थिति में अभिलिखित खातेदार होने के बावजूद जब तक वादीगण विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्त नही कर [illegible] है तब तक प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है, लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

विवाद्यक संख्या 02 भली भांति साबित नही होने से वादीगण के विरूद्ध एवं विवाद्यक संख्या 03 आंशिक रूप से साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. आया उक्त खसरा संख्या 96, 98, 100 की भूमियो पर कब्जा प्रतिवादी के पिता का था, परन्तु अन्त्योदय परिवार का बताकर लाबू के स्थान पर पन्ना दर्शाकर राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो को धोखा कर खसरा संख्या 96, 98, 100 की विवादित भूमियो का आवंटन करा लिया था जबकि पन्ना अन्त्योदय योजना में नही आता था क्योकि उसके नाम की अन्य खातेदारी भूमियो आसरलाई व बिरामपुरी उनके अलावा स्थित है? **जिम्मे प्रतिवादीगण**

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 03 के निर्णयन से यह स्पष्ट है कि आवंटन से पूर्व वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के पिता लाबु पुत्र सुखदेव बावरी का कब्जा काश्त था। यह अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में सिवाय चक भूमि थी तथा तत्पश्चात पन्ना पुत्र नैना जाट के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुई अर्थात् पन्ना के नाम आवंटित हुई। उक्त आवंटन वैध था या नही? तथा आवंटी द्वारा गलत रूप से तथ्य पेश किए या नही? आदि बिन्दूओ पर विवेचन एवं निर्णयन तथा विचारण न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार से पेर है अतः उक्त बिन्दू पर किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नही होने से यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. आया उक्त खसरा संख्या 96, 98, 100 पर अनुसूचित जाति का कब्जा वक्त सेटलमेंट के पहला है तथा उनके खसरा को बीच स्थित पर जिसमें कुआँ मकान प्रतिवादी के बने हुए है? **जिम्मे प्रतिवादीगण**

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 03 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध के पश्चात सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज रही तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत धारा 91 एल आर एक्ट के नोटिस प्रदर्श डी-8 तथा प्रदर्श डी-11 से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पिता लाबू पुत्र सुखदेव बावरी का इस पर कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजी बाद में पन्ना पुत्र नैना जाट के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुई जिसे बाद में वादीगण द्वारा क्रय किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि उनका वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट पूर्व से कब्जा काश्त रहा हो। इसी प्रकार प्रतिवादीगण यह भी साबित करने में असफल रहे है कि उनका मकान व कुआं वास्तव में किस खसरे की भूमि पर बने हुए है साथ ही वादीगण भी यह साबित करने में असफल रहे है कि जब भू आवंटन के पूर्व से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता के कब्जा काश्त में थी, तो उनके द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा कब व किस प्रकार से प्राप्त किया गया। अतः यह विवाद्यक आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से इसे इसी अनुरूप निर्णित किया जाता है।

6. आया पन्ना पुत्र नैना जिसकी की वास्तविक नाम लाबू पुत्र नैना है जिसकी भूमियां गांव आसरलाई व बिरामपुरी में स्वयं की खातेदारी [illegible] इसलिए उक्त लालाराम पुत्र पन्ना न तो कब्जा रहा है न ही बैचानकर्ता [illegible] झूठी मृत्यु तारीख लिखकर झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी [illegible] दस्तावेज बदले है कानूनन खारिज के है? **जिम्मे प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवाद्यक के समर्थन में ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा दिनांक 09.01.2004 को जारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

त का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श डी–6 जिसके अनुसार पन्नाराम पुत्र नैनाराम निवासी बेरामपुरी की मृत्यु दिनांक 25.12.2002 को होना अंकित है एवं प्रदर्श डी–7 सभा क्षेत्र 159 जैतारण भाग संख्या 108 की निर्वाचक नामावली वर्ष 1998 की त प्रति है लेकिन उक्त दोनो दस्तावेजात् से उपर्युक्त विवाद्यक किसी भी दृष्टि से नही होता है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के संबंध में विवेचन एवं निर्णयन पूर्व त विवाद्यको में किया जा चूका है शेष बिन्दूओ के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जनक एवं विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए है तथा न ही वादीगण द्वारा त विवाद्यक का सफलतापूर्वक खण्डन किया गया है लिहाजा उपर्युक्त विवाद्यक क्ष के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

नुतोष ?

उपर्युक्त विवाद्यक वार विवेचन एवं निर्णयन द्वारा हस्तगत प्रकरण में विद्यमान त प्रश्नो का विवेचन एवं निर्णयन किया जा चुका है तथा अन्य कोई अनुतोष प्रदान जाना शेष नही है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवाद्यक वार विवेचन एवं निर्णयन के आलोक में वाद–वादीगण द्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी नियम–1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी बेक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला–पाली

य आज दिनॉक 27/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(ज़िला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. महेन्द्रसिंह पुत्र शम्भूसिंह के का.मु. 1.1 प्रेमकंवर बेवा महेन्द्रसिंह 2. भवानीसिंह पुत्र शम्भूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण निमाज तहसील जैतारण जिला पाली।		1. हीराराम पुत्र लाबूराम 2. शंकरलाल पुत्र लाबूराम 3. पेमाराम पुत्र सोनाराम 4. लालाराम पुत्र सोनाराम 5. मुन्नाराम पुत्र सोनाराम जातियान– बावरी, निवासीगण– बिरामपुरी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 67/2004

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री शंकरलाल कुमावत अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवाद्यक वार विवेचन एवं निर्णयन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/07/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	03	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा				02	00
मिजानः–	08	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:58 IST
Reason: SelfAttested